<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या–110 / 2019</u>

सरकार **बनाम** रामप्रकाश सिंह आदि।

CNR NO.-UPAN010037232019
मु0अ0सं0–155 / 2019
धारा–302, 506, 120बी, 34 भा0दं0सं0
व 7 CLA Act
थाना– अहिरौली
जनपद–अम्बेडकर नगर।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांक 03.01.2022</u>

पुकार करायी गई। अभियुक्तगण रामप्रकाश सिंह व सूर्य प्रताप सिंह उर्फ छट्ठू सिंह उपस्थित। अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ गोलू जेरे हिरासत उपस्थित।

आरोप रचना के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय (फौ0) द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उन्हें आरोपों को साबित करना है।

अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उन्हें रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की नियत से झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व धारा–302, 506, 120बी, 34 भा0दं0सं0 व 7 CLA Act के अन्तर्गत आरोप रचना हेतु प्रथम दृष्ट्या प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत आरोप रचना की जाए तद्नुसार आदिष्ट किया गया।

दिनांकः– 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 01561

अभियुक्तगण रामप्रकाश सिंह, सूर्य प्रताप सिंह उर्फ छट्ठू सिंह तथा सतनाम सिंह उर्फ गोलू के विरूद्व धारा–302, 506, 120बी, 34 भा0दं0सं0 व 7 CLA Act के अन्तर्गत आरोप रचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17.01.2022 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

दिनांकः– 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 01561

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–110/2019

सरकार — — — **बनाम** — — — रामप्रकाश सिंह आदि।

आरोप

मैं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, आप अभियुक्तगण रामप्रकाश सिंह, सूर्य प्रताप सिंह उर्फ छट्ठू सिंह तथा सतनाम सिंह उर्फ गोलू पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करता हूं।

1. यह कि दिनांक 12.06.2019 को समय लगभग 08:30 बजे, स्थान–नहर के किनारे पक्की सड़क, ग्राम रामनगर जमदरा, थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकर नगर में आप अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादिनी मुकदमा श्रीमती शोभा सिंह के पति की साशय गोली मारकर हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो भा.द.सं. की धारा–302/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा उपरोक्त व अन्य को जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भा.द.सं. की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र के तहत वादिनी मुकदमा उपरोक्त के पति की हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भा.द.सं. की धारा–120बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा उपरोक्त के पति की हत्या कारित की गयी जिससे वहां भय व्याप्त हो गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो 7 CLA Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 01561

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनांकः– 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 01561

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2022.01.04 17:30:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court